



2026:AHC-LKO:21944

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

रिट - सी संख्या - 2658 सन 2026

अमर नाथ तिवारी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव पंचायती राज
उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	राजीव कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ला
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह, राघवेंद्र ओझा

न्यायालय संख्या - 8

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से नोटिस मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। श्री मोहन सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।

इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहतों की मांग करता है:-

- (i) "उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा दिनांक 07.02.2026 को पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ने ग्राम प्रधान को वित्तीय अनियमितताओं से बरी कर दिया है, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 / जवाहर लाल (अनुलग्नक संख्या 1) के विरुद्ध न्याय के हित में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 5-ए के अनुसार ग्राम प्रधान को बर्खास्त करने का आदेश न्याय के हित में जारी किया जाए।”

याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति और उठाए जाने वाले विवाद को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से विशेष रूप से यह प्रश्न पूछा गया कि यह याचिका किस प्रकार विचारणीय है, जबकि याचिकाकर्ता बाराबंकी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश के संबंध में उत्प्रेषण की मांग कर रहा है, जिसका याचिकाकर्ता से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है या जो उसे प्रभावित नहीं करता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वह शिकायतकर्ता था और उसी के अनुसरण में निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई थी।

आगे यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण और अवैध है तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है।

फिर भी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उक्त आदेश को चुनौती देने के याचिकाकर्ता के अधिकार और क्या याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्ति है या क्या उसे यह याचिका दायर करने का अधिकार है, इस मुद्दे पर न्यायालय को संबोधित करना आवश्यक था।

कुछ दलीलें देने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक खंडपीठ के निर्णय, **कमला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; एआईआर ऑनलाइन 2024 ऑल. 844** का हवाला देते हुए कहा कि उक्त याचिका में शामिल मूल मुद्दा याचिकाकर्ता को यह याचिका दायर करने की अनुमति देता है।

उपरोक्त खंडपीठ के निर्णय पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त लार्जर बेंच को संदर्भित मुद्दा प्रस्तर 3(1) में दर्ज किया गया था। उक्त प्रश्न का उत्तर प्रस्तर 31 में दिया गया, जिसमें यह माना गया कि शिकायतकर्ता रिट कार्यवाही में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

इसके बाद खंडपीठ ने प्रस्तर 34 से आगे उचित पक्षकार के मुद्दे पर विचार किया और यह भी माना कि जहां तक उचित पक्षकार की अवधारणा का संबंध है, यह पूरी तरह से विवेकाधीन है। सामान्यतः,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार, जैसा कि उपरोक्त निर्णय के प्रस्तर 43 में कहा गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, स्पष्ट रूप से, उक्त निर्णय याचिकाकर्ता के हित में नहीं है।

वैसे भी, हाल ही में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **नीरज कुमार सिंह बनाम आनंद कुमार मिश्रा और 4 अन्य; 2026:एचसी-एलकेओ:19967-डीबी** मामले में पीड़ित व्यक्ति और याचिका दायर करने के अधिकार के मुद्दे पर विचार किया था।

उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय यह नहीं मानता कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका को बनाए रखने का पर्याप्त अधिकार है, जिसे याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई योग्य न मानते हुए **खारिज** किया जाता है।

[न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह]

मार्च 26, 2026

आशीष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।